प्रेस विज्ञप्ति

11.04.2026

ईडी ने अर्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड (ईआईएल) मामले में तलाशी अभियान चलाया; नकदी, आभूषण, बुलियन और लक्ज़री घड़ियाँ ज़ब्त की गईं :

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दिल्ली ज़ोनल कार्यालय ने 10.04.2026 को धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत, मेसर्स अर्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड (ईआईएल) व उसकी समूह कंपनियों के मामले में तलाशी अभियान चलाए। ये तलाशी अभियान अर्थ समूह के निदेशकों, प्रमोटरों व उनसे जुड़ी कंपनियों के गुरुग्राम और दिल्ली में स्थित 10 परिसरों में चलाया गया।

तलाशी अभियान के दौरान, ईडी ने लगभग 6.3 करोड़ रुपये की नकदी, करीब 7.5 करोड़ रुपये के गहने, चांदी की सिल्लियां और महंगी घड़ियों के अलावा 100 से अधिक अचल संपत्तियों (जिनमें बेनामी संपत्तियां भी शामिल हैं) से संबंधित दस्तावेज़ ज़ब्त किए; इन संपत्तियों का अनुमानित मूल्य 100 करोड़ रुपये से अधिक है।

धन-शोधन की यह जाँच दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा मेसर्स अर्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड (ईआईएल), उसके निदेशकों व संबंधित संस्थाओं के विरुद्ध आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और साज़िश के आरोपों में दर्ज की गई पाँच एफआईआर से शुरू हुई है। इसके अलावा, गंभीर कपट जाँच कार्यालय (एसएफआईओ) ने भी कंपनी अधिनियम की धारा 447 के तहत अर्थ समूह के प्रमोटरों/निदेशकों के विरुद्ध एक आपराधिक शिकायत दायर की है।

ईडी की जांच से पता चला है कि मेसर्स अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड व उसकी संबद्ध कंपनियों के जरिए अर्थ समूह ने दिल्ली-एनसीआर, गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा और लखनऊ में "अर्थ" ब्रांड के तहत अनेक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट शुरू किए। प्रमुख प्रोजेक्ट्स में **अर्थ टाउन, अर्थ सफायर कोर्ट, अर्थ कोपिया, अर्थ टेकोन, अर्थ आइकॉनिक, अर्थ टाइटेनियम, अर्थ एलाकासा, अर्थ ग्रेसिया और अर्थ स्काईगेट शामिल हैं**। इसके अलावा, मेसर्स अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और उसकी समूह कंपनियों के खिलाफ सीआईआरपी की कार्यवाही शुरू की गई, जो अर्थ आइकॉनिक, अर्थ एलाकासा, अर्थ टाइटेनियम, अर्थ टाउन, अर्थ सफायर कोर्ट, अर्थ कोपिया और अर्थ टेकोन के नाम पर अपनी परियोजनाओं को पूरा न करने के लिए घर खरीदारों के आवेदनों पर आधारित थी।

<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>
11.04.2026

जांच में आगे यह भी पता चला कि आरोपी संस्थाओं ने 19,425 से अधिक घर खरीदारों/निवेशकों से लगभग 2024.45 करोड़ रुपये की राशि इस वादे के साथ जुटाई थी कि वे आवासीय/वाणिज्यिक इकाइयों की समय पर डिलीवरी देंगे और साथ ही सुनिश्चित रिटर्न भी देंगे। हालांकि, खरीदारों से भारी अग्रिम राशि लेने के बावजूद, या तो परियोजनाएं पूरी नहीं की गईं या निवेशकों को उनका कब्ज़ा नहीं सौंपा गया।

विपथित निधियों का इस्तेमाल निम्नलिखित कामों के लिए किया गया:

- समूह की कंपनियों और परिवार के सदस्यों के नाम पर गुरुग्राम, दिल्ली और राजस्थान में भूखंडों का अधिग्रहण;
- शेल/समूह संस्थाओं के माध्यम से निधियों का प्रवाह;
- व्यक्तिगत भूमि सौदे;
- असंबंधित संस्थाओं को अग्रिम;
- सक्रिय व्यावसायिक भूमिकाओं के बिना परिवार के सदस्यों को वेतन;
- विपथित निधियों से मिली संपत्तियों की बिक्री से होने वाली आय का अपव्यय।

धोखाधड़ी में शामिल मुख्य लोग हैं:

- **अवधेश कुमार गोयल**
- **रजनीश मित्तल**
- **अतुल गुप्ता**
- **विकास गुप्ता**

जांच से यह भी पता चला है कि अपराध की आय को लैवेंडर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, धुरव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मुरलीधर इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड, बांके बिहारी फार्मिंग प्राइवेट लिमिटेड, जूलियन इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड व अन्य समूह कंपनियों के ज़रिए अचल संपत्तियों को खरीदने और बेचने में विपथित किया गया।

आगे की जांच जारी है।